**दिनांक 16.04.2025 को सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय पदाधिकारियों के साथ लंबित एवं महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही।**

---

<u>कार्यवाही</u>

## <u>सांस्कृतिक कार्य निदेशालय</u>

1. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया। साथ हीं छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय अंतर्गत एन०सी०सी० एवं फिल्म निगम संबंधित विषयवस्तु से संबंधित प्रशिक्षण दिये जाने का निदेश दिया गया।

2. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के कार्यालय के लिए स्वीकृत निम्न वर्गीय लिपिक के नियुक्ति के निमित्त संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

   डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा हेतु प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन को स्मार पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया। साथ ही आई०टी० ब्वॉय की सेवा उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

3. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा कराने हेतु विभागीय उप सचिव को संबंधित विभाग से शीघ्र समन्वय स्थापित करते हुए अद्यतन स्थिति प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

4. जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के वेतन स्तर में अभिवृद्धि से संबंधित संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश उप सचिव को दिया गया।

5. माननीय विभागीय मंत्री महोदय के कर–कमलों द्वारा दिनांक 15.04.2025 को कलाकारों के निबंधन हेतु वेबपोर्टल लॉन्च किया गया है। इस संबंध में निदेशक, सांस्कृतिक कार्य को सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को वेबपोर्टल पर स्थानीय एवं क्षेत्रीय कलाकारों के पंजीकरण के लिए प्रचार–प्रसार करने हेतु पत्र प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

6. जिन जिलों से अटल कला भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन जिलों को स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

7. कलाकारों के पेंशन योजना से संबंधित संलेख प्रारूप उपस्थापित करने हेतु संचिका एक सप्ताह के अंदर उपस्थापित करने का निदेश निदेशक, सांस्कृतिक कार्य को दिया गया।

8. विभागीय स्तर पर मासिक पत्रिका के प्रकाशन हेतु किसी एक जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को संलग्न करने हेतु उसका चयन करने का निदेश निदेशक, पुरातत्व

निदेशालय को दिया गया। पत्रिका से संबंधित कार्य को इस माह के अंत तक समाप्त करने का निदेश दिया गया।

## संग्रहालय निदेशालय

9. अटल कला भवन एवं संग्रहालय भवन के प्रबंधन हेतु नियमावली तैयार किये जाने के संदर्भ में निदेशक, संग्रहालय निदेशालय द्वारा सचिव महोदय को अवगत कराया गया कि उनकी अध्यक्षता में एक बैठक आहूत कर नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे एक सप्ताह के अंदर सचिव महोदय के समक्ष उपस्थापित कर दिया जायेगा।

10. विभिन्न राजकीय संग्रहालयों में टिकट घर के निर्माण हेतु संबंधित नक्शा एवं टिकट घर का फोटो अब तक नहीं दिखाये जाने के लिए सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए दो दिनों के अंदर टिकट घर का नक्शा एवं छायाचित्र दिखाने का निदेश विभागीय कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

11. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संग्रहालयाध्यक्षों के नियुक्ति के संदर्भ में किसी विभागीय पदाधिकारी को आयोग भेजकर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर सचिव महोदय को अवगत कराने का निदेश निदेशक, संग्रहालय निदेशालय को दिया गया।

    इसके अतिरिक्त जो पद स्वीकृत है, जिसकी नियमावली नहीं बनी है, इस संबंध में निदेशक, संग्रहालय को निदेश दिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय से एक प्रतिवेदन प्राप्त कर संचिका उपस्थापित की जाय।

12. पटना संग्रहालय, पटना का किये जा रहे विस्तारीकरण के संदर्भ में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग के साथ बैठक आहूत करने हेतु तिथि व समय के निर्धारण के लिए संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

13. मुजफ्फरपुर में गाँधी जी से संबंधित स्थल पर नई संरचना के निर्माण से संबंधित संचिका शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश निदेशक, संग्रहालय को दिया गया।

14. संग्रहालय निदेशालय के अधीनस्थ राजकीय संग्रहालयों में कुछ संग्रहालयों को चिन्हित कर वहाँ नई एवं डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हुए एक अथवा दो गैलरी का विकास करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

## पुरातत्व निदेशालय

15. बांका जिला अंतर्गत रानी की बॉव की तरह अवस्थित ऐतिहासिक संरचना को सुरक्षित घोषित करने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

16. सारण जिला अवस्थित डच सेमेट्री–सह–करिंगा मकबरा को सुरक्षित घोषित करते हुए उसके संरक्षण, जिर्णोद्धार एवं विकास हेतु विभागीय सूचीबद्ध वास्तुविद से कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

17. चिरांद पुरास्थल के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किये जाने वाले अगले पी.पी.टी. में जिला पदाधिकारी, सारण को भी शामिल करने का निदेश दिया गया।

18. टेकारी किला (गया) के संबंध में स्वत्ववाद से संबंधित जानकारी विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा सचिव महोदय को दिया गया। जलालगढ़ किला (पूर्णियाँ) के संदर्भ में विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि संचिका की खोज की जा रही है। इस संबंध में सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जो संचिका न्यायालय से संबंधित है, का अवलोकन कर वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

**स्थापना**

19. सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किये जाने वाले समीक्षात्मक बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के प्रतिनिधि एवं फिल्म निगम के भी पदाधिकारियों/कर्मियों को बुलाने का निदेश दिया गया।

20. विभाग में कनीय एवं सहायक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति हेतु यथाशीघ्र जल संसाधन विभाग को पत्र प्रेषित करने का निदेश विभागीय उप सचिव को दिया गया।

21. ई–ऑफिस प्रारम्भ करने के संदर्भ में सचिव महोदय द्वारा सभी निदेशालय को यह निदेश दिया गया कि आज से ही नई संचिकाएँ ई–ऑफिस के माध्यम से उपस्थापित करना सुनिश्चित करें। साथ ही विभागीय आई०टी० प्रबंधक को निदेश दिया गया कि सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों का आई०डी० पुनः जाँच कर लें तथा संचिकाओं के स्कैनिंग की प्रगति की भी जानकारी वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

ह0/–
(प्रणव कुमार) भा.प्र.से.
सरकार के सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

ज्ञापांक......705....../ पटना, दिनांक....02/04..../2025

प्रतिलिपिः– मा० मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर निदेशक/संयुक्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी उप सचिव/कार्यपालक अभियंता/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक अभियंता/क्षेत्रीय उप निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/परामर्शी (फिल्म)/परामर्शी (वित्त एवं लेखा), बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना/पी०एम०यू० लीड/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी/आई0 टी0 प्रबंधक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रूबी)
सरकार के संयुक्त सचिव।